

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(14)ग्रावि/नरेगा/वेज/2010

जयपुर, दिनांक

3 APR 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मेट की मजदूरी दर के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित मेट को वर्तमान में रूपये 127/- प्रतिदिन की दर से मजदूरी देय है। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2012 से अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर में वृद्धि कर रूपये 119/- से बढ़ा कर रूपये 133/- किये जाने के फलस्वरूप योजनान्तर्गत दिनांक 01.04.2012 से नियोजित किये जा रहे मेट की मजदूरी दर रूपये 127/- से बढ़ा कर रूपये 142/- की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय

(एन.के.गुप्ता)

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा प्रथम/द्वितीय एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जयपुर/जोधपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस